

:-:प्रोन्नति आदेश:-:

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 26-09-2024 के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी(वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4800 / लेवल-8) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त स्तम्भ-06 में अंकित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०	वर्तमान तैनाती	जन्म तिथि	नव तैनाती स्थान
01	02	03	04	05	06
01	452	अंजली सिंह/गया राम	आगरा	08.09.1965	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ

2- उपरोक्त पदोन्नति कर्मचारी पदोन्नति के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 25.10.2024 तक अपने नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि किन्हीं कारणों से वह पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हो, तो उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र संबंधित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी को प्राप्त कराकर नियमानुसार तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाये ।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अर्न्तगत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें ।

4- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे ।

E/-

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त ।****प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, आगरा जोन, आगरा ।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सम्भाग-ए/ बी आगरा ।

- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, आगरा एवं मुख्यालय ।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, आगरा एवं मुख्यालय ।
- 7- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय ।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारिय को (नाम से) ।

(रमेश चन्द पुत्रे)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।